

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-986/2012/जयपुर

मै0 वाडीवाल एन्टरप्राइजेज लि.,
रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर,
जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम
सहायक आयुक्त,
विशेष वृत-चतुर्थ, जयपुर।

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील सं. 309/अपील्स-11/आरवीएटी/जयपुर/वि.वृ.चतुर्थ/11-12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत चतुर्थ, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(3) की धारा 23 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.01.2011 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को विवादित करने पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है, जिसको अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में राशि रु 75,93,369/- के क्रेडिट नोट विक्रय पश्चात जारी किये जाकर क्रेडिट नोट्स का समायोजन लिया गया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी के द्वारा वेत इनवॉयस जारी करने के पश्चात क्रेता व्यवहारियों को क्रेडिट नोट के जरिए दिये गये ex-post facto डिस्काउण्ट को अधिनियम की धारा 2(36) के परिप्रेक्ष्य में अमान्य करके इस विक्रय का भाग मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20.01.2011 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27.03.2012 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

212



3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय से मुख्य धारा 2(36) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि व्यापार जगत में प्रचलित प्रथा के अनुसार व्यवहारियों द्वारा विक्रय पर्चे जारी करने के Discount, Price Correction, Price Dscrepancy एवं Sales tax correction के पश्चात भी अपने ग्राहकों को डिस्काउंट अथवा छूट दी जा सकती है। इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा बहुत से निर्णय पारित किये जा चुके हैं। अपने कथन के समर्थन में 53 एसटीसी 48, 56 एसटीसी 192, 65 एसटीसी 41, 53 एसटीसी 48, 67 एसटीसी 389, 35 एसटीसी 84, 24 एसटीसी 489 आदि न्यायिक दृष्टांतों को उद्धरित किया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरोपित कर अविधिक है जिसे अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

रिकार्ड के परिशीलन से विदित है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में विक्रय पश्चात् विभिन्न क्रेता व्यवहारियों को क्रेडिट नोट जारी कर इसका वेट में समायोजन लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार से जारी क्रेडिट नोट के समायोजन को अमान्य कर इसे विक्रय माल का भाग मानते हुए कर का आरोपण किया गया है। इस क्रम में विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा जो इस प्रकार है :-

2(36):- "Sale Price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kinds of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I :- In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II :- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III :- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expences in respect of the transportation of the goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis phase involved a thorough review of the collected information to identify trends and patterns. Statistical tools were used to quantify the data, and the results were compared against industry benchmarks. This process helped to highlight areas of strength and areas that need further attention.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are aimed at improving operational efficiency and reducing costs. The author believes that implementing these changes will lead to a more streamlined and effective process.

इस अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation II के तहत यह व्यवस्था की गयी कि बिल जारी करने के पश्चात् यदि कोई डिस्कांट और रिबेट दी जाती है तो संबंधित राशि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जा सकता। वेट इनवॉइस के द्वारा माल खरीदने के पश्चात् क्रेता द्वारा उसी माल को आगे विक्रय करते समय इनवॉइस में भुगतान किये गये कर का आईटीसी समायोजित किया जाता है। इस प्रकार संबंधित वस्तु बिक्री की श्रृंखला में कई बिन्दुओं में विक्रय की जाती है तो पूर्व में भुगतान की गयी कर राशि का समायोजन लिया जाता है। यदि इस कर व्यवस्था में बिल जारी करने के पश्चात् यदि डिस्काउंट और रिबेट की राशि विक्रय मूल्य में से कम करने की अनुमति दी जाती है तो डिस्काउंट एवं संबंधित कर की राशि संबंधित व्यवहारियों के पास में ही रह जाती है जो कि गलत है क्योंकि वसूल की गयी कर की राशि को कोई व्यवसायी अपने पास नहीं रख सकता बल्कि वसूल की गयी समस्त कर राशि राजकोष में जमा होनी चाहिए। इसके साथ-साथ अंतिम क्रेता को व्यवहारियों द्वारा बिल जारी करने के पश्चात् दिये गये डिस्काउंट और रिबेट एवं संबंधित कम की गयी कर की राशि का फायदा नहीं मिलेगा। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की धारा 2(36) के तहत यह व्यवस्था की गयी कि बिल जारी करने के पश्चात् यदि कोई डिस्कांट और रिबेट दी जाती है तो संबंधित राशि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों की पुष्टि माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मद्रास सीमेंट बनाम सहायक आयुक्त (147 एसटीसी 626) के न्यायिक दृष्टांत से होती है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि० जयपुर बनाम C.T.O Anti Evasion II जयपुर के प्रकरण में दिये गये निर्णय 16.12.2016 में यह अभिनिर्धारित किया है कि Ex-post facto discount धारा 2(36) के स्पष्टीकरण (ii) के अनुसार व्यवसाई को देय नहीं है। हस्तगत प्रकरण के भी माननीय न्यायालय का निर्णय पूर्णतया लागू होता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में इस बिन्दु Ex-post facto discount पर दिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है तथा व्यवसाई की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

14/12/16
(नत्थूराम)
सदस्य

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes direct observation, interviews with key personnel, and the use of specialized software tools. Each method is described in detail, highlighting its strengths and potential limitations.

The third section presents the results of the study. It shows a clear trend of increasing activity over the period observed. The data indicates that the most significant changes occurred in the latter half of the study period.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests that further research should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. Additionally, it provides practical advice for how the information can be used to improve operational efficiency.